

अन्तर्गत धारा-

तारीख मुम

हुम या कार्यवाही इतिशियत्य जज

23/1/22

पत्रावली अंतर्गीत वाडी उपस्थित है। पत्रावली वास्ते जवाब बत
 निमत है। पत्रावली अंतर्गीत पर वाज गमा कि प्रकरण में प्रथम
 तारीख पर ही वदलीनदार क्रिनाम को नोटिस प्राप्त हुआ
 है। बावजूद इसके वदलीनदार क्रिनाम द्वारा जवाब दलकार
 पत्रा वही क्रिना गमा है। वदलीनदार क्रिनाम को जवाब बत
 कोर लग्न दिये जाने के पत्रावली निस्तान में अनावश्यक विकल
 होगा केर प्रकरण में जवाब दलकार बंड क्रिनागो है।
 पत्रावली वास्ते ~~क्रिनाम~~ वदल कोरिन्डा दिनांक 18/1/22 के फेरि है।

ⓧ

उपखण्ड अधिकारी
मिनाय (अजमेर)

18/1/22

पत्रावली फेरि इधे वदली अर्धी उपस्थित है। वदली अर्धी वही
 शरल अर्धी उपस्थित है। पत्रावली वास्ते वदल ज.प.अ. अर्धी
 21/2/22 वदल निमत है। फेरि अर सरकार उपस्थित है।
 पत्रावली द्वारा वदल वदल निवेदन क्रिनागमा। पत्रावली वदल में
 वदल पत्रा अर सुनी गही। पत्रावली वास्ते आदेश निमत है जावी है।
 पत्रावली वास्ते आदेश अर अर दिनांक 28/1/22 को फेरि है।

ⓧ

उपखण्ड अधिकारी
मिनाय (अजमेर)

25/1/22

वदली अर्धी तथा अर्धी उप. फेरि अर सरकार उप. पत्रावली वास्ते
 आदेश अर 21/2/22 वदल निमत है। पत्रावली वदल अर
 दातवेन. शरल अर रिपोर्ट अर वदल अर क्रिनागमा। वदल पत्रा अर
 लगावार्

ⓧ

फर्द-अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भिनाय जिला-अजमेर(राज0)

प्रकरण संख्या- /

बनाम.....

अन्तर्गत धारा:-

हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्य जज

ख हुक्म

शमनन क्रियागमा | वरि इक्त अवलोकन लखा मनन (अपी) इरा
अन्तल आठपत्र अन्तगत धारा 212-214 अनुतोष भोग्य नही हुने
के खारिज क्रिया जाता है | विस्तृत निर्णय प्रथम से क्रियागमा लिखमा
जाडर शामिल पत्राली क्रियागमा | पत्राली फलत शुमार है | नखर
सेकम प्रेडर दाखिल दाखर है | निर्णय अन्त दिनांक 28/11/23
की खरे अन्तगत बनामागमा |

उपखण्ड अधिकारी

भिनाय (अजमेर)